न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 37/2019

वादी

1. जगदीश कुमार गोदपुत्र गौरीशंकर जाति पुष्करणा ब्राहम्मण निवासी दर्जियों का चौक खाण्डा फलसा, जोधपुर – राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राहुल पुत्र नरसिंहदास जाति पुष्करणा ब्राहम्मण निवासी दर्जियों का चौक खाण्डा फलसा, जोधपुर – राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

दावा बाबत् अधिकार घोषणा रेकर्ड दुरस्ती

उपस्थित :–

1. **श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता वादी**
2. **श्री राहुल प्रतिवादी संख्या 01**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07-11-2019

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 का पेष किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की पुश्तेनी खातेदारी कृषि भूमि तहसील समदडी जिला बाडमेर के राजस्व ग्राम मोखण्डी में खसरा नम्बर 89 रकबा 0–12 बीघा, खसरा नम्बर 90 रकबा 91–07 बीघा कुल रकबा 91–19 बीघा की आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी केपूर्वज गौरीशंकर, नरसिंहदास पिसरान अन्नतराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। नरसिंहदास के स्वर्गवास हो जाने पर वादग्रस्त भूमि में वादी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम नरसिंहदास की जगह हो गया।

वादी नरसिंहदास का प्राकृतिक पुत्र है, वादी को वादी के काका गोरीशंकर अविवाहित होने से अपने जीवनकाल में दिनांक 26.09.1949 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा से गोद ले लिया था। इस प्रकार वादी नरसिंहदास का जायन्दा पुत्र व गौरीशंकर के गोद जाने से वादी गौरीशंकर गोदपुत्र है। वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि में गौरीशंकर के गोद जाने से नरसिंहदास का उत्तराधिकर नहीं रहा, वादी गौरीशंकर का उत्तराधिकारी है।

वादग्रस्त कृषि भूमि में नरसिंहदास के स्वर्गवास हो जाने से उनके नाम पर आयी कृषि भूमि के हिस्सेदारी में नरसिंहदास के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 राहुल के साथ साथ वादी का नाम भी राजस्व अधिकारियों ने गलत तौर से जोड दिया जबकि वादी नरसिंहदास का उत्तराधिकारी नहीं है। जिससे वादी नरसिंहदास के उत्तराधिकारी से अपना नाम नही रखना चाहता है।

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

दिनांक 21.01.1997 को गोरीशंकर का स्वर्गवास हो जाने से अब वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में गौरीशंकर के गोदपुत्र होने से वादी गोरीशंकर का एकमात्र उत्तराधिकारी है व वादग्रस्त कृषि भूमि को अपने नाम पर बतौर गोदपुर उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया।

वाद पत्र दिनांक 05.08.2019 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वादपत्र का इकवाली जवाब पेश कर माफिक इश्तदुआ वादी का वादपत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरस्ती करने की सहमति जाहिर की। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक लिखित राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी आराजी में नरसिंहदास के उत्तराधिकारी में वादी के नाम पर की गयी प्रवृष्टि को हटाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की 1/2-1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त करने की सहमति दी गई।

हमने दोनों वादी व प्रतिवादी को सुना तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073-2076 ग्राम मोखण्डी खसरा नम्बर 89 व 90 कुल रकबा 91-19 बीघा गौरीशंकर वल्द अणतराम, जगदीशकुमार राहुलकुमार पि. नरसिंहदास कौम ब्राहम्मण (पुष्करणा) सा.जोधपुर की खातेदारी में दर्ज है। प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 11.10.49 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादी जगदीशकुमार को गोरीशंकर पुत्र अन्नतराम का गोदपुत्र है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से गौरीशंकर की दिनांक 21.01.1997 को स्वर्गवास हो जाना भी प्रमाणित है। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज है तथा यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां एक व्यक्ति के गोद चले जाने से प्राकृतिक पिता की सम्पति में उसका कोई अधिकार नहीं रहता है तथा जिसके गोद गया है पिता की सम्पत्ति में उसके अधिकार पैदा हो जाते हैं। अर्थात पूर्व पिता (प्राकृतिक पिता) के यहा मृत्यु हो जाती है तथा गोदपिता के यहां उसका जन्म हो जाता है। इस प्रकार वादी का नरसिंहदास की सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं रहे हैं इस कारण वादी गोदपिता स्वर्गीय गौरीशंकर की खातेदारी भूमि में खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया है तथा वादी व प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित राजीनामा भी प्रस्तुत कर वादी की इस्तदुआ अनुसार दावा डिकरी करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों के अवलोकन से वाद वादी से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा मोखण्डी के खसरा नम्बर 89 रकबा 0-12 बीघा, खसरा नम्बर 90 रकबा 91-07 बीघा कुल

सहायक कलेक्टर
(SDO) सिवाना

रकबा 91–19 बीघा की भूमि में नरसिंहदास के उत्तराधिकर में वादी जगदीश के नाम पर की गयी प्रविष्टि को हटाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(प्रमोद सींग्वी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना